लोपित

(125)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. 833/I/2017/ विदिशा

म.प्र. शासन .....आवेदक

बनाम

शिवचरण ब्राहम्मण पुत्र श्री फौदीलाल जाति ब्राहम्मण निवासी– ग्राम–मेहलुआ, तहसील कुरवाई, जिला विदिशा म.प्र. .....अनावेदक

आवेदन पत्र वास्ते उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाये जाने बाबत्।

श्रीमान जी,

उपरोक्त प्रकरण में विवादित आराजी के मूल भूमि स्वामी शिवचरण थे। ने अपनी आराजी को शासकीय आराजी से अदला बदली विधि अनुसार कलेक्टर के आदेशानुसार कराकर उक्त सरकारी आराजी शिवचरण के हक में वैधानिक रूप से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई इसके पश्चात शिवचरण ने उक्त आराजी को व्यक्तिगत पैसों की आवश्यकता के कारण उक्त आराजी को विक्रय कर दिया विक्रय दिनांक 29 नवम्बर 2011 क्रेता पंचमलाल सप्रे ने क्रय की क्रेता पंचमलाल सप्रे जी पुत्र श्री कड़ोरीलाल सप्रे वार्ड नं. 9 गढ़ा मोहल्ला तहसील कुरवाई जिला विदिशा म.प्र. ने रजिस्ट्री के आधार पर तहसील न्यायालय में विधिवत आवेदन देकर नामांतरण के लिये आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रकरण पंजीबद्ध होकर नामांतरण के आदेश पारित हुये नामांतरण के आदेश के बाद विधिवत राजस्व रिकॉर्ड में क्रेता पंचमलाल सप्रे के राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुये इसके बाद कुछ समय पूर्व पदस्थ कलेक्टर एम.बी.ओझा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक पुर्नावलोकन 833–एक/17 जिला –विदिशा

क्रमांक दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-07-17	कलेक्टर जिला विदिशा द्वारा कमांक क्यू/रीडर/2016/325 दिनांक 9.9.2016 द्वारा प्रकरण कमांक 34/अ–19/08–09 में पारित आदेश दिनांक 29.6.09 में म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत पुर्नावलोकन की अनुमति चाही गई है। 2– प्रकरण में पुर्नावलोकन की अनुमति धारा 51 के अन्तर्गत चाही गई है लेकिन दायरा धारा 50 निगरानी में कर दिया गया है इसलिये यह पुर्नालोकन में सुनवाई की जा रही है। 3– शासन की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित होकर तर्क किया गया है कि अनावेदक शिवचरण पुत्र फौदली ब्राहम्ण निवासी ग्राम मेहलुआ की निजी भूमि सर्वे कमांक 37/1 के रकवा 0.803 है0 भूमि का विनिमय शासकीय भूमि सर्वे कमांक 373/1 के रकबे से अनावेदक के पक्ष में विनिमय किया गया है। शासन के अधिवक्ता द्वारा आगे अपने तर्क में कहा गया है कि तहसीलदार कुरवाई के प्रतिवेदन दिनांक 6.5.10 स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि विनिमय की जा रही शासकीय भूमि का मूल्य मौके की स्थिति अनुसार काफी अधिक है। उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि निजी भूमि से विनिमय की जा रही शासकीय भूमि मुख्य सड़क से लगी होने के कारण बहुमूल्य तो है ही आगे चलकर शासन के किसी भवन बनने के काम में आ सकती है, इन सब परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये पुर्नावलोकन की अनुमति दी जाना उचित है।	

4– अधिवक्ता श्री कुंवर सिंह कुशवाह द्वारा पंचमलाल सप्रे पुत्र श्री कड़ोरीलाल सप्रे निवासी गढ़ा मोहल्ला वार्ड न0 9 तहसील कुरवाई जिला विदिशा को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। श्री कुंअर सिंह कुशवाह द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि आराजी के मूल भूमि स्वामी शिवचरण थे, ने अपनी आराजी को शासकीय आराजी से अदला बदली विधि अनुसार कलेक्टर के आदेशानुसार कराकर उक्त सरकारी आराजी शिवचरण के हक में वैधानिक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई इसके एचात शिवचरण ने उक्त आराजी को व्यक्तिगत पैसों की आवश्यकता के कारण उक्त आराजी को विकय कर दिया विकय दिनांक 29.11.11 केता कडोरीलाल सप्रे वार्ड न0 9 गढा मोहल्ला तहसील कुरवाई जिला विदिशा म0प्र0 ने रजिस्ट्री के आधार पर तहसील न्यायालय में विधिवत आवेदन देकर नामांतरण के लिये आवेदन पत्र तहसील न्यायालय में प्रस्तुत किया प्रकरण पंजीबद्व होकर नामांतरण के आदेश पारित हुये नामांतरण के आदेश के बाद विधिवत राजस्व रिकार्ड में केता पंचमलाल सप्रे के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज हुये इसके बाद कुद समय पूर्व पदस्थ कलेक्टर जिला विदिशा श्री एम0 बी0 ओझा ने उक्त विवादित आराजी को शासकीय घोषित करने के आदेश पारित किये जिसमें केता पंचम लाल सप्रे को बिना सुने बिना पक्ष समर्थन के जो आदेश पारित किया है त्रुटिपूर्ण आदेश है । अतः उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण में अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाया जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि अनावेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय में न तो रजिस्ट्री प्रस्तुत की है और न ही अपने स्वत्व स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यवह हितबद्ध पक्षकार है। मात्र इस न्यायालय में रजिस्ट्री की छायाप्रति एवं पक्षकार बनाये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिससे यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि किस धारा के अन्तर्गत पक्षकार बनाया जावे। अधिवक्ता श्री कुंअर सिंह कुशवाह द्वारा जो भी तर्क प्रस्तुत किये गये है वह शिवचरण की ओर से किये गये थे जबकि उनके द्वारा उनकी शिवचरण की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण उनके तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है। जहां तक प्रश्नाधीन पुनर्विलोकन अनुमति का प्रश्न है डिप्टी कलेक्टर द्वारा अपने पत्र में ऐसा कोई आधार नहीं अंकित किये हैं जिनके आधार पर कलेक्टर के प्रकरण कमांक 34 / अ—19 / 08—09 में पारित आदेश दिनांक 29—6—09 में क्या अनियमितताए अथवा त्रुटियां दर्शित हुई, जिसके आधार पर उनके द्वारा पुर्नविलोकन की अनुमति चाही है। इसके अतिरिक्त जहां तक कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है कलेक्टर द्वारा तहसीलदार कुरवाई द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई द्वारा प्रस्तावित किये जाने पर विनिमय की अनुमति प्रदान की गई है। कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। आपत्तिकर्ता यदि उक्त विनिमय से किसी प्रकार हितबद्ध था तो तत्समय उसे उक्त विनिमय पर आपत्ति प्रस्तुत करनी चाहिए थी। उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह पुनर्विलोकन अनुमति संबंधी आवेदन निरस्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(एस0एस0 अली)
सदस्य